

राजस्थान सरकार  
नगर नियोजन विभाग  
कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांक टीपीआर 9214.50.2015 १९०८

दिनांक:-


**28 SEP 2018**

विषय:- 25 LPH open R.O. water purifier & 60/80 water cooler क्रय करने हेतु सीमित निविदाएं आमंत्रित करने बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कार्यालय उपयोग हेतु एक नग 25 LPH open R.O. water purifier & 60/80 water cooler क्रय करने हेतु (संलग्न मापदण्डों के अनुसार) सीमित निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं ।

सीमित निविदाएं मोहरबन्द लिफाफे में दिनांक 08.10.2018 को मध्याह्न पश्चात 1.00 बजे तक कार्यालय में प्राप्त हो जानी चाहिये । प्राप्त निविदाएं उसी दिन मध्याह्न पश्चात 3.00 बजे वरिष्ठ नगर नियोजक (मुख्यालय) के कक्ष में उपस्थित बोलीदाताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोले जायेंगे । निम्न हस्ताक्षरकर्ता को बिना कोई कारण बताए किसी भी/सभी निविदाओं को अथवा उसके किसी भाग को निरस्त करने का अधिकार होगा ।

  
(सुभाष चन्द शर्मा)  
वरिष्ठ नगर नियोजक (मुख्यालय)  
राजस्थान, जयपुर ।

---

कार्यालय पता : जे.एल.एन. मार्ग, बिड़ला मन्दिर के सामने, जयपुर-302004  
EPBX No. 2560838ए 2560963 Office e-mail : ctp-rj@nic.in  
Fax No. 0141.2563702ए 2560985 Website : http://udhrajasthan.gov.in

राजस्थान सरकार  
नगर नियोजन विभाग  
कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर ।

वाटर कूलर के मापदण्ड

1. Water Cooler की स्टोरेज कैपेसिटी न्यूनतम 80 लीटर एवं न्यूनतम कूलिंग कैपेसिटी 60 लीटर होनी चाहिए।
2. सप्लाइकर्ता के पास Water Cooler की डिस्ट्रीब्यूटर शिप डीलरशिप होनी चाहिए जिसका प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए।
3. वाटर कूलर की दरे एफओआर पर होगी। साथ ही गारन्टी समय के पूरा होने के पश्चात की जाने वाली AMC की दरे अगले 3 वर्ष तक की संलग्न करनी होगी।
4. वाटर कूलर में दो नल (Faucels) होनी चाहिए।
5. वाटर कूलर स्टोरेज टाईप होना चाहिए तथा इसका टैंक स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए।
6. वाटर कूलर की Body स्टेनलेस स्टील अथवा precoated outer for body better corrosion resistance की होनी चाहिए। वाटर कूलर में front panel स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए।
7. वाटर कूलर में Adjustable cold water thermostate होना चाहिए।
8. वाटर कूलर auto cut out होना चाहिये।
9. वाटर कूलर में over Load compressor protection system होना चाहिए।
10. जिस वाटर कूलर का कोटेशन दिया जा रहा है वह ISO certified होना चाहिये जिसका प्रमाण-पत्र संलग्न होना चाहिए।

आरओ के मापदण्ड

1. R.O. wall mounted type होना चाहिए।
2. R.O. की Purification Production Rate न्यूनतम 25 LPH होनी चाहिए।
3. R.O. को वाटर कूलर के साथ Attachment करने की सुविधाएँ होनी चाहिए।
4. R.O. Auto flushing system होना चाहिए।
5. R.O. पानी में मौजूद अशुद्धियाँ जैसे केमिकल, बैक्टीरिया, वायरस, साल्ट आदि को दूर कर पानी को 100 प्रतिशत शुद्ध करने की क्षमता होनी चाहिए।
6. R.O. में Auto shut off की सुविधाएँ होनी चाहिए।
7. R.O. की दरे होगी। इसकी गारन्टी/वारन्टी समय समाप्त होने के पश्चात की जाने वाली AMC की दरे अगले 3 वर्ष तक की संलग्न करनी होगी।
8. जिस R.O. का कोटेशन दिया जा रहा है वह वह ISO certified होना चाहिये जिसका प्रमाण-पत्र संलग्न होना चाहिए।

सहायक अभियन्ता  
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय पता : जे.एल.एन. मार्ग, बिड़ला मन्दिर के सामने, जयपुर-302004

EPBX No. 2560838ए 2560963

Office e-mail : ctp-rj@nic.in

Fax No. 0141.2563702ए 2560985

Website : <http://udhrajasthan.gov.in>